अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

आम जनता घूमना बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– दावा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषे0 मु0नं0–110/2023

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय वादपत्र पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हुए। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.2800 है0 गै0मु0 रास्ता, आराजी खसरा नम्बर 1153 रकबा 0.1800 है0 गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 2255 रकबा 0.2600 है0 वाके रामा घूमणा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। खसरा नम्बर 1141 के साबिक नम्बर 830 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा गै0मु0 नाला तथा खसरा नम्बर 1153 के साबिक नम्बर 843 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 नाला तथा खसरा नम्बर 2255 के साबिक नम्बर 830 दर्ज थे। विवादित भूमि वर्तमान में भी नाले के रूप में काम आ रही है जिसमें होकर बरसाती पानी का निकास बदस्तूर चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी वैद्य आदेश विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 141 एवं 1153 की भूमि का अंकन गैर मुमकिन रास्ते के रूप में कर दिया जबकि उक्त भूमि गे0मु0 नाले की भूमि है जो कि अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित है जिसका रूपान्तरण अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने से प्रतिवादी जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है। इसलिए खसरा नम्बर 1141, 1153 एवं 2255 वाके रामा घूमना की भूमि को गै0मु0 रास्ते के स्थान पर गै0मु0 नाला दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब पेश किया गया है। जवाब तहसीलदार सिकराय में मिसल बंदोबस्त संवत 2008–22 व साबिक खसरा नम्बर 830 व 843 की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज होना स्वीकार किया है। साथ ही जवाब में यह भी अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 21.05.1973 के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 747, 830, 843 कि किस्म गै0मु0 नाला से गै0मु0 रास्ता में परिवर्तित की गई जिसका अमल जमाबंदी संवत 2032–35 मे किया गया जो आज दिनांक तक गै0मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त नामान्तकरण उप जिलाधिकारी दौसा के आदेश द्वारा दर्ज किया गया है। इसलिए इस स्तर से निर्णय में परिवर्तन कर विवादग्रस्त भूमि कि किस्म परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। वादीगण नियमानुसार उप जिलाधिकारी दौसा के उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)